

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा (अपील) नम्बर :- 36/2018 (Rcms no: 2018/00102)

उनवानी प्रकरण :-

1. रामअवतार पुत्र गुलावसिंह जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर — अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर — रेस्पोजेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2018
तहसीलदार बसेडी प्र.सं. 405/2018
उनवानी राज० सरकार बनाम रामअवतार
अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि० 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से :- श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. रेस्पोजेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-31.07.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.2.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बौरेली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 164/150 रकवा 0.51 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम पर फसल रवि सम्वत् 2074 में गेहूँ बोकर अपीलान्ट ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को बिना सुने 153/-रूपये का जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट के


(नन्मूल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



हस्ताक्षर असल नहीं है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते। यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर बयान दिया एवं अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलान्ट का कितने वर्ष पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलान्ट द्वारा कब्जा किया गया था जबकि अपीलान्ट भूमि हीन कृषक है जिसका विवादग्रस्त आराजी पर पुश्तैनी कब्जा है। अगर अपीलान्ट की सुनवाई होती तो वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के सामने रखते एवं नियमन की सिफारिश की प्रार्थना करते। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 23.4.2018 को पुलिस के जरिये हुई। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पुश्तैनी कब्जा है। अपीलान्ट यह समझते रहे कि यह आराजी उनके नाम नियमन हो जायेगी इसलिये अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे एवं अपने परिवारजनों से काश्त कराते रहे। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जबाव का मौका दिया जाता तो वो जबावदेई करते एवं उसी समय विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड देते अब जैसे ही अपीलान्ट को सजा की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में अपना कब्जा नहीं करेगें इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 12.2.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने 153/-रूपये का जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्ट को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट के असल हस्ताक्षर

(नन्नुमेल फौडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



नहीं हैं जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्ट पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्ट पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते। यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 23.4.2018 को पुलिस के जरिये हुई। जैसे ही अपीलान्ट को सजा की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में अपना कब्जा नहीं करेंगे इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अपीलान्ट को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील पर अपीलान्ट के असल हस्ताक्षर नहीं हैं। क्योंकि इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुये।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर उनका पुश्तैनी कब्जा काश्त है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि तामील पर अपीलान्ट के असल हस्ताक्षर नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि नोटिस तामील प्राप्ति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था।

(नन्मेल फाइलिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का के बयान प्रफोर्मा में लिये गये हैं जो कानूनन एवं न्याय संगत नहीं है ।
5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 12.02.2018 के पैरा नम्बर 2 में यह अंकित है कि अपीलान्ट नोटिस की विधिवत तामील के उपरान्त स्वयं उपस्थित आये। अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उपस्थित भी माना और एक तरफा कार्यवाही भी की है। दोनों कार्यवाही एक साथ की गई है जो असंभव है तथा न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है।
6. अपीलान्ट द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि उसने कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी अपीलान्ट के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एन. एम. पट्टाडिया)
जिला कलक्टर,
धौलपुर